संख्या-03/2017/253 ई-2/तेरह-2017-23(रिट)/2015

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 फरवरी,2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-1397/टैक्स/2011 मेसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स शामली, मु0 नगर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-10-2012 के अनुपालन में 39,882.38 कुण्टल नष्ट हुये शीरे पर प्रशासनिक शुल्क के मद में जमा धनराशि रू0 4,38,706/-(रूपये चार लाख अडतीस हजार सात सौ छः) मात्र की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0-18/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 01 जून,2015, पत्र संख्या-जी0-27/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 11 जून,2015, पत्र संख्या-जी0-126/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 03 फरवरी,2016, पत्र संख्या-जी0-129/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 15 फरवरी,2016, पत्र संख्या-जी0-140/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 28 मार्च,2016 व पत्र संख्या-जी0-53/दस-शीरा-पु0या0सं0-11/रिवी0/09/शामली, दिनांक 19 अक्टूबर,2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों में प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रिट याचिका संख्या-1397/टैक्स/2011 मेसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स शामली, मु0 नगर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-10-2012 के अनुपालन में मेसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स शामली, मु0 नगर को नष्ट हुये 39,882.38 कुण्टल शीरे पर जमा किये गये प्रशासनिक शुल्क के मद में जमा कराई गई धनराशि रू0 4,38,706/-(रूपये चार लाख अडतीस हजार सात सौ छः) मात्र वापस करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त धनराशि की वापसी सम्बन्धित कोषागार में जमा की गई धनराशि की पुष्टि के पश्चात् ही की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में जमा की गई धनराशि की वापसी वर्ष 2016-17 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00800-अन्य प्राप्तियां-90-घटायें वापसियां-00" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2017/253(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9;
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा कोषाधिकारी को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से।
(5) आबकारी अनुभाग-1.
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।